

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
(बिहार शहरी विकास अभिकरण)

॥ कार्यालय आदेश ॥

सं०सं०-04/RAY-05/2015-

72

/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-17/2/16

कार्यालय आदेश सं०-123 सह पठित ज्ञापांक-2211 दिनांक-22.04.15 द्वारा राजीव आवास योजना के अन्तर्गत 7 परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु संबंधित नगर निकायों को आवास एवं आधारभूत संरचना मद में प्रथम किस्त आवंटित की जा चुकी है। इस क्रम में (योजना की कार्यान्वयन हेतु) नगर निगम, पूर्णिया फेज-I को आवास मद में राशि ₹1161.83 लाख (ग्यारह करोड़ एकसठ लाख तेरासी हजार ००) मात्र की स्वीकृति दी जाती है। संबंधित नगर निगम, पूर्णिया-I के नाम के सम्मुख स्तम्भ 6 में अंकित राशि निम्नवत स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	परियोजना का नाम	कुल परियोजना लागत	प्रथम किस्त के रूप में आवास एवं आधारभूत संरचना मद में कुल विमुक्त राशि	द्वितीय किस्त के रूप में आवास मद में स्वीकृत राशि	(राशि लाख ०० में) आवास एवं आधारभूत संरचना में मद में अब तक कुल विमुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	नगर निगम, पूर्णिया	पूर्णिया फेज-I	9393.97	1549.39	1161.83	2711.22

- अतः उपरोक्त विवरणी के स्तंभ 06 में अंकित राशि नगर निगम, पूर्णिया को योजना के कार्यान्वयन हेतु RTGS के माध्यम से संबंधित बैंक खाता में उपलब्ध करा दी जाय।
- योजना की पूर्णता एवं परियोजना की गुणवत्ता सर्वोपरि है। अतः नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया योजना का सघन पर्यवेक्षण करेंगे।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014-

315

पटना, दिनांक-17/2/16

प्रतिलिपि:-लेखापाल बुडा, नगर विकास एवं आवास विभाग/टीम लीडर, SLIC-RAY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक-04/RAY-28/2014-

315

पटना, दिनांक-17/2/16

प्रतिलिपि:-नगर आयुक्त, नगर निगम, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।